अति आवश्यक

सं. 4-2(32)/2016/डीडी-I
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003
दिनांक - 07 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम") की धारा 7 के तहत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार का उपयोग - 3 मार्च, 2017 की राजपत्र अधिसूचना की अग्रेषण प्रति के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सीधे सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसलिए, सहायक यंत्रों/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) तथा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से इस मामले में अपेक्षित अधिसूचना जारी की है।

2. दिनांक 3 मार्च, 2017 को एस.ओ.711 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii)] में प्रकाशित उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की विषय-वस्तु का अध्ययन करें और अधिसूचना के पैरा 2 में उल्लिखित एडिप लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करें।

3. यह भी अनुरोध किया जाता है कि एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन संबंधी सूचना का आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाए।

4. कृपया यह भी ध्यान दिया जाए कि इस अधिसूचना में निहित प्रावधानों का अनुपालन न करना आधार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति और इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट इस विभाग को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(अवनीश के. अवस्थी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-24369056
ई-मेल: jsda-msje@nic.in

1. **सभी प्रधान सचिव/सचिव**
   असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग - नाम से।
2. **सीएमडी, एलिम्को/निदेशक, सभी राष्ट्रीय संस्थान/सभी समेकित क्षेत्रीय केंद्र/अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां - नाम से।**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय मंत्री (एसजे एंड ई) के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (एसजे एंड ई-केपी) के निजी सचिव
3. सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी) के पीएसओ
4. संयुक्त सचिव (एकेए), डीईपीडब्ल्यूडी के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव और एफए, एमएसजेई के निजी सहायक
6. उप सचिव (एमएलएम), डीईपीडब्ल्यूडी

प्रतिलिपि सूचनार्थ

विभाग की वेबसाइट में मेजबानी (होस्टिंग) के लिए अवर सचिव (प्रशासन), डीईपीडब्ल्यूडी।

ADIP / SLNO 13 of List

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 639] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का. आ. 711(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (जिसे इसके पश्चात विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और, या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसके पश्चात योजना कहा जाएगा) का एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है।

और, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, आवश्यकताग्रस्त दिव्यांगजनों के लिए टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों के उपापन में सहायता प्रदान करना, दिव्यांगजनों को पुनर्वास हेतु शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बढ़ावा देकर दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए और साथ ही साथ उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है;

और, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, उनके द्वारा स्वतंत्र रुप से कार्य करने की क्षमता में सुधार और दिव्यांगता के विस्तार और अनुषंगी दिव्यांगता घटित होने को सीमित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं;

और, यह स्कीम, राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों, राज्य विकलांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों, गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेसियां कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं और स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं, जिसके अंतर्गत सहायक यंत्र और सहायक साधनों (उपकरणों) का उपापन और वितरण भी है और दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों और मार्गरक्षियों को भारत की संचित निधि के गैर–आवर्ती व्यय में शामिल नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते, आवास और भोजन व्यय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाएं कहा गया है) उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात :–

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

2. इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा और इस हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकेंगे।

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, इस स्कीम को लागू करने वाले विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंग और जो अभी तक आधार संख्याओं में नामांकन नहीं हुए हैं और यदि उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो इस स्कीम को लागू करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) मतदाता पहचान–पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड, या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) सम्पत्ति कार्ड; या

(v) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र; या,

(vi) राशन–कार्ड; या,

(vii) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या

(viii) शस्त्र अनुज्ञप्ति; या

(ix) पेंशनर कार्ड; या

(x) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(xi) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जारी किया गया फोटो पहचान–पत्र; या

(xii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र; या

(xiii) रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया रोजगार कार्ड; या

(xiv) श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार बीमा स्कीम (ईआईएस) के लिए जारी फोटो पहचान–पत्र; या

(xv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति या

(xvi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित, पहचान–पत्र या

(xvii) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से नामानिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध करने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अधिकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया

जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों से, उनके पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 4–2(32)/2016/डीडी–I]

अवनीश कुमार. अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O. 711(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India (hereinafter referred as the Department) is administering the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and, or, Fitting of Aids and Appliances (ADIP) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme;

And whereas, the main objective of the Scheme is to assist the needy disabled persons in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances to promote physical, social, psychological rehabilitation of Persons with Disabilities by reducing the effects of disabilities and at the same time to enhance their economic potential;

And whereas, the assistive devices are given to Divyangjan with an aim to improve their independent functioning and to limit the extent of disability and occurrence of secondary disability;

And whereas, the Scheme is implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organizations (hereinafter referred to as the implementing agencies) and the benefits under the Scheme include procurement and distribution of aids, assistive devices (appliances) and providing travelling allowances, boarding and lodging expenses to the Persons with Disabilities and attendants or escorts as per norms (hereinafter referred to as benefits), that involve non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1.(1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, in case he or she is entitled to

obtain Aadhaar as per section 3 of Aadhaar Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Department through its implementing agencies which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaarenrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case of there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Property Card; or

(v) Freedom Fighter Identity Card; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Employee Government ID Card; or

(viii) Arms license; or

(ix) Pensioner's Card; or

(x) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(xi) Photo identity card issued by competent authority for scheduled castes or tribes and other backward castes; or

(xii) Photo identity card issued by competent authority for handicapped persons; or

(xiii) Employment Card issued by Employment Guarantee Scheme (EGS) authorities; or

(xiv) Photo identity card issued by Ministry of Labour for Employment Insurance Scheme (EIS); or

(xv) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(xvi) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xvii) Any other document specified by the Central or State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department in charge of implementing the Scheme shall make all required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the implementing agencies to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre

available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department is required to create Aadhaar enrollment facilities at convenient locations, in coordination with existing Registrars of UIDAI or by Department itself by becoming UIDAI Registrar themselves and beneficiaries under the Scheme may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the Department or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 4-2 (32)/2016/DD-I]

AWANISH K. AWASTHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.03 20:06:40 +05'30'